

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी

विपक्षी

श्रीमति कमला पिता भगवान वगैराह

श्री मणिया पिता वाघा वगैराह

किस्म मुकदमा

सह पठित धारा 212 जा.दी.  
ऑर्डर 39 रूल्स 1 व 2

पत्रावली संख्या:

51/2018  
(2018/00042)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 26.11.2019</p> <p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। वकील प्रार्थिया ने प्रार्थीगण खातेदार कृषक होने से विपक्षी गण उन्हें जबरान अतिक्रमण एवं काश्त कब्जा करने में परेशान करने से विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने बाद प्रस्तुत करना निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ग्राम घुवेड की जमाबंदी संवत् 2073-2077 के खाता संख्या 10 के आ न 1476/757 रकबा 6.00 बीघा संयुक्त खातेदार कृषक दर्ज रिकॉर्ड है।</p> <p>प्रार्थना पत्र में ता फैसला मूलवाद के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(दौलतराम चौधरी RAS) उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा</p>	

